

PRESS RELEASE

ENGAGEMENT OF SPECIAL POLICE OFFICERS (SPOs)
UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 21 OF THE HARYANA POLICE ACT, 2007

The Telecommunication Wing of Haryana Police is inviting applications for engagement of 400 Special Police Officers (SPOs) under Section 21 of the Haryana Police Act, 2007, from ex-servicemen of the Armed Forces/Central Armed Police Forces (CAPFs) and ex-Constables of the disbanded Haryana State Industrial Security Force (HSISF)/Haryana Armed Police (HAP) Battalions. Preference will be given to candidates having experience in handling telecommunication equipment, particularly those who have served in the Signal Corps of the Armed Forces/Central Armed Police Forces (CAPFs). The engagement shall be for a period of one year.

APPLICATION & DOCUMENTS

Interested and eligible candidates are required to appear in person along with duly filled application form, all relevant documents in original, one set of attested photocopies of the relevant documents, Required affidavit(s) and other prescribed documents, as applicable. Applications will be received on the prescribed dates from 9:00 AM onwards at Police Lines Telecommunication, Opposite Sector-25, Near Village Moginand, Panchkula, Haryana. No TA/DA will be given to the candidates appearing for submission of document/interview. For eligibility criteria, proforma of relevant forms & affidavit and other details please visit the online link i.e. Engagement of 400 SPOs in Haryana Police Telecommunication Wing.pdf at https://haryanapolice.gov.in/Public_Notice

DISTRICT-WISE SCHEDULE

Date	Districts
24.08.2026 (Monday)	Panchkula, Ambala, Yamunanagar, Kurukshetra, Karnal and Kaithal
25.08.2026 (Tuesday)	Sonepat, Panipat, Rohtak, Jhajjar, Bhiwani and Charkhi Dadri
26.08.2026 (Wednesday)	Gurugram, Faridabad, Mewat (Nuh), Palwal, Rewari and Narnaul
27.08.2026 (Thursday)	Hissar, Fatehabad, Sirsa, Hansi, Jind and Dabwali

IMPORTANT NOTE: Incomplete applications will not be entertained. No application will be accepted after the prescribed date for the concerned district. Candidates must appear in person on the date prescribed for their respective district and bring all required original documents along with the prescribed set of attested photocopies, 04 passport size coloured photographs .

Office of Superintendent of Police
Telecommunication, Haryana,
Panchkula

 **0172-2993973**

कार्यालय, पुलिस अधीक्षक दूरसंचार, हरियाणा, पंचकूला

प्रेस विज्ञापित

विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) की नियुक्ति हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 21 के प्रावधानों के अंतर्गत

हरियाणा पुलिस की दूरसंचार विभाग द्वारा हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 21 के अंतर्गत 400 विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) की नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इसके लिए सशस्त्र बलों/ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के भूतपूर्व सैनिकों तथा विघटित हरियाणा राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल/ हरियाणा सशस्त्र पुलिस बटालियनों के भूतपूर्व कांस्टेबलों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। दूरसंचार उपकरणों के संचालन का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों, विशेष रूप से सशस्त्र बलों/ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सिग्नल कोर में सेवा कर चुके अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नियुक्ति की अवधि एक वर्ष होगी।

आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज

इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर विधिवत भरा हुआ आवेदन-पत्र, सभी संबंधित दस्तावेजों की मूल प्रतियां, संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रतियों का एक सेट, आवश्यक शपथ-पत्र (Affidavit) एवं अन्य निर्धारित दस्तावेज साथ लाने होंगे, आवेदन निर्धारित तिथियों को प्रातः 9:00 बजे से पुलिस लाइन्स दूरसंचार, सेक्टर-25 के सामने, ग्राम मोगीनंद के निकट, पंचकूला, हरियाणा में प्राप्त किए जाएंगे। दस्तावेज जमा करने/साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (TA/DA) देय नहीं होगा। पात्रता मानदंड, संबंधित प्रपत्रों एवं शपथ-पत्र के प्रारूप तथा अन्य विस्तृत जानकारी के लिए ऑनलाइन लिंक “Engagement of 400 SPOs in Haryana Police Telecommunication Wing.pdf” देखें।

https://haryanapolice.gov.in/Public_Notice

जिला-वार कार्यक्रम

दिनांक

जिले

24.08.2026 (सोमवार)	पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल एवं कैथल
25.08.2026 (मंगलवार)	सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी एवं चरखी दादरी
26.08.2026 (बुधवार)	गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात (नूंह), पलवल, रेवाड़ी एवं नारनौल
27.08.2026 (वीरवार)	हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, हांसी, जींद एवं डबवाली

महत्वपूर्ण सूचना : अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संबंधित जिले के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने संबंधित जिले के लिए निर्धारित तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सभी आवश्यक मूल दस्तावेजों तथा सत्यापित छायाप्रतियों का निर्धारित सेट, 04 पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटोग्राफ साथ लाना अनिवार्य है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक
दूरसंचार, हरियाणा, पंचकूला



0172-2993973

OFFICE OF THE SUPERINTENDENT OF POLICE, TELECOMMUNICATION, HARYANA, PANCHKULA
ENGAGEMENT OF 400 SPECIAL POLICE OFFICERS (SPOs)
UNDER PROVISIONS OF SECTION 21 OF HARYANA POLICE ACT, 2007

TERMS & CONDITIONS

- 1 Minimum educational qualification would be 10+2 from recognized boards and the age of the candidates shall not be less than 25 years or more than 50 years as on the date of advertisement.
- 2 The Candidates should not have been removed/dismissed from their service in the Armed Forces/Central Armed Police Forces (CAPFs) on ground of indiscipline, misconduct or medical unfitness and the minimum service in the Armed Forces/Central Armed Police Forces (CAPFs) should be five years.
- 3 No written/physical test will be conducted for engagement of Special Police Officers (SPOs).
- 4 The SPOs shall be medically examined before giving appointment letter and the character and antecedents of selected candidates shall be got verified from the concerned district police authority by the Police Telecommunication Wing, Haryana before issuing appointment letters.
- 5 The documents pertaining to qualification, age, caste/category, other certificate etc. as claimed in the application form shall be got verified from concerned issuing authorities.
- 6 Medical category at the time of discharge from service should be 'A'. Character certificate at the time of discharge from service should be 'exemplary/ outstanding'.
- 7 These SPOs shall after their selection undergo a 15 days capsule Course to reorient themselves to the needs of Police Department
- 8 Such eligible volunteers shall be employed for a period of one year or upto the date of appointment of persons on regular basis, whichever is earlier. They shall be paid monthly honorarium of Rs. 20,000/- only. This amount shall be deposited in the bank account of SPOs and not disbursed in cash.
- 9 A onetime uniform allowance of Rs. 3000/- for two sets of uniform, one pair of shoes and other necessary uniform articles like insignia of SPO and cap/lanyard etc. shall be given to SPOs at the time of their engagement.
- 10 When on official tour, SPOs shall be eligible for TA and DA @ Rs. 150/- per day. Casual Leave shall be granted to them as applicable to Constables of the Haryana Police.
- 11 They shall eligible for Ex-gratia Compensation at the following rates:-
 - a) In the event of death/disability/injury of an SPO who is killed/disabled/injured in action while performing the duties of his office and displaying bravery and extra ordinary courage.
 - i. In the event of death Rs. 10 Lakhs
 - ii. Permanent disability- from Rs. 1 Lakhs to Rs. 3 Lakhs
 - iii. Grave Injury- upto Rs. 1 Lakhs
 - b) In case of natural death the Ex. Gratia amount of Rs. 3.00 Lakh shall be admissible to the family of deceased employees (SPOs) instead of Rs. 10.00 Lakh.
- 12 SPOs will not be posted at their home police stations, however preference will be given to the home district at the time of deployment subject to the availability of the posts.
- 13 These SPOs can be deployed anywhere in the State of Haryana during emergent situations for short duration.

- 14 The services of volunteer SPOs shall be liable to be terminated on ground of indiscipline, misconduct, unsatisfactory performance of duty or non-requirement before the period of one year at any time by an order passed by the Superintendent of Police, Telecommunication without issuing any notice what so ever. The order/decision of SP Telecommunication, Haryana shall be final. No appeal shall lie before any superior officer.

Sd/-
SP/Telecom. Haryana

कार्यालय पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार, पंचकूला हरियाणा
400 विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) की नियुक्ति
हरियाणा पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 21 के प्रावधानों के अंतर्गत

नियम एवं शर्तें

1. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 होगी और विज्ञापन की तिथि को उम्मीदवारों की आयु 25 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) की सेवा से अनुशासनहीनता, कदाचार या चिकित्सकीय अयोग्यता के आधार पर हटाया/बर्खास्त नहीं किया गया होना चाहिए तथा सशस्त्र बलों/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में न्यूनतम सेवा अवधि पाँच वर्ष होनी चाहिए।
3. विशेष पुलिस अधिकारियों (SPOs) की नियुक्ति के लिए कोई लिखित/शारीरिक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।
4. नियुक्ति पत्र देने से पहले SPOs का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा तथा चयनित उम्मीदवारों के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन नियुक्ति पत्र जारी करने से पहले पुलिस दूरसंचार विभाग, हरियाणा द्वारा संबंधित जिला पुलिस प्राधिकरण से कराया जाएगा।
5. आवेदन पत्र में दावा की गई योग्यता, आयु, जाति/श्रेणी तथा अन्य प्रमाण-पत्रों आदि से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित जारीकर्ता प्राधिकरणों से कराया जाएगा।
6. सेवा से डिस्चार्ज के समय मेडिकल श्रेणी 'A' होनी चाहिए। सेवा से डिस्चार्ज के समय चरित्र प्रमाण-पत्र 'Exemplary/Outstanding' होना चाहिए।
7. चयन के बाद इन SPOs को पुलिस दूरसंचार विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को पुनः उन्मुख करने के लिए 15 दिनों का कैप्सूल कोर्स करना होगा।
8. ऐसे पात्र स्वयंसेवकों को एक वर्ष की अवधि के लिए या नियमित आधार पर व्यक्तियों की नियुक्ति होने की तिथि तक, जो भी पहले हो, नियोजित किया जाएगा। उन्हें केवल ₹20,000/- प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। यह राशि SPOs के बैंक खाते में जमा की जाएगी और नकद रूप में वितरित नहीं की जाएगी।
9. नियुक्ति के समय SPOs को दो सेट वर्दी, एक जोड़ी जूते तथा SPO के इंसिग्रिया और कैप/लैनयार्ड आदि जैसी अन्य आवश्यक वर्दी सामग्री के लिए ₹3,000/- का एकमुश्त वर्दी भत्ता दिया जाएगा।
10. सरकारी दौरे पर होने पर SPOs को ₹150/- प्रति दिन की दर से TA और DA देय होगा। आकस्मिक अवकाश हरियाणा पुलिस के कांस्टेबलों पर लागू नियमों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।
11. SPOs निम्नलिखित दरों पर अनुग्रह क्षतिपूर्ति (Ex-gratia Compensation) के पात्र होंगे:-
 - (क) ऐसे SPO की मृत्यु/विकलांगता/चोट की स्थिति में, जो अपने कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करते हुए कार्रवाई में मारा जाता है/विकलांग होता है/घायल होता है तथा बहादुरी और असाधारण साहस का प्रदर्शन करता है:-
 - (i) मृत्यु की स्थिति में ₹10 लाख।
 - (ii) स्थायी विकलांगता के लिए ₹1 लाख से ₹3 लाख तक।
 - (iii) गंभीर चोट के लिए ₹1 लाख तक।
 - (ख) प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में मृत कर्मचारी (SPOs) के परिवार को ₹10.00 लाख के स्थान पर ₹3.00 लाख की अनुग्रह राशि स्वीकार्य होगी।
12. SPOs को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जाएगा, हालांकि पदों की उपलब्धता के अधीन तैनाती के समय गृह जिले को प्राथमिकता दी जाएगी।

13. इन SPOs को आपातकालीन परिस्थितियों में थोड़े समय के लिए हरियाणा राज्य में कहीं भी तैनात किया जा सकता है।
14. स्वयंसेवी SPOs की सेवाएं अनुशासनहीनता, कदाचार, ड्यूटी का असंतोषजनक प्रदर्शन या एक वर्ष की अवधि से पहले आवश्यकता समाप्त होने के आधार पर किसी भी समय पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार द्वारा पारित आदेश से बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकती हैं। पुलिस अधीक्षक, दूरसंचार, हरियाणा का आदेश/निर्णय अंतिम होगा। किसी उच्च अधिकारी के समक्ष कोई अपील नहीं की जा सकेगी।

Sd/-
पुलिस अधीक्षक,
दूरसंचार, हरियाणा
पंचकूला